

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9948 / 5050

दिनांक :- 04/02/2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री जितेंद्र गर्ग [लिंक न. 9948] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, भरतपुर - [1097] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 05/09/2018 से 27/09/2018 तक 23 दिवस

दिनांक 03/10/2018 से 15/10/2018 तक 13 दिवस

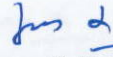
दिनांक 22/10/2018 से 04/11/2018 तक 14 दिवस

दिनांक 12/11/2018 से 11/12/2018 तक 30 दिवस

दिनांक 14/12/2018 से 18/12/2018 तक 5 दिवस

कुल 85 दिवस

उक्त कुल 85 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री जितेंद्र गर्ग की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9948 / 5050

दिनांक :- 04/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, भरतपुर
2. कोषाधिकारी भरतपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री जितेंद्र गर्ग [9948] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, भरतपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)